उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-1,
संख्या-46/2016/1928 ई-1/तेरह-2016-127(1)/2001
लखनऊ::दिनांक: 28 नवम्बर, 2016

विज्ञप्ति

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-23/1/70(1)नियुक्ति-(ख) दिनांक 05 अगस्त, 1970 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में विद्यमान आबकारी निरीक्षक पद, वेतन बैण्ड रू0 9300-34800, ग्रेड पे रू0 4600/- को राजपत्रित पद की प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि भविष्य में इस पद पर उच्च वेतनमान की मांग नहीं की जाएगी।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 46/2016/1928 (1) ई-1/तेरह-2016-127(1)/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) कार्मिक अनुभाग-1.
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1.
(6) वित्त नियंत्रक, आबकारी आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in